न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

दावा सं. 43/19 रामकिशोर v/s तहसीलदार

निर्णय दिनांक 26-11-19

वकील वादी श्री महिपालचौधरी ने दावा सं. 15/17/18 LR Act के तहत पेश कर मौजा बलावली की ख.सं. 30 रकबा 1.21 है., 302 रकबा 0.37 है. का निर्णय करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया। तहसीलदार मेड़ता को सीमाज्ञान करवाने हेतु लिखा गया परन्तु किसी कारण। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख देखा गया।

तहसीलदार मेड़ता को आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी से नियमानुसार शुल्क वसूल कर पड़ोसी खातेदारों को सूचित कर नियमानुसार सीमाज्ञान करावें यदि कोई विवाद नहीं हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करावें। पत्रावली निस्तारित घोषित।

(के.आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested